



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11122024-259346
CG-DL-E-11122024-259346

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4948]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 2024/अग्रहायण 20, 1946

No. 4948]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2024/AGRAHAYANA 20, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2024

(आय-कर)

का. आ. 5347(अ).—आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 10 के खंड(23चड) की मद(ख) तथा उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या 44/2020/फा.सं. 370142/24/2020-टीपीएल सं. का. आ. 2227(अ) दिनांक 6 जुलाई, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः-

उक्त अधिसूचना में, आरंभिक पैराग्राफ में, अक्षरों, आकड़ों तथा शब्दों "फा.सं. 13/3/2017-आईएनएफ दिनांक 13 अगस्त 2018" के स्थान पर अक्षरों, आकड़ों तथा शब्दों "फा. सं. 13/1/2017-आईएनएफ दिनांक 11 अक्टूबर, 2022" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

[सं.127/2024/फा. सं. 500/विविध/एस 10(23चड)/एफटीएंडटीआर-II]

अपूर्व तिवारी, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना संख्या का.आ. 2227(अ), दिनांक 6 जुलाई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।